

29/07/2021

आमि लैख उपस्थापित किया गया। देनदार द्वारा
वाद की बकाया राशि पूर्व में ही कार्यालय के
नज्दत शाखा में NR.No-475379,
दिनांक- 11.07.2011 के द्वारा जमा कर दिया
गया है।

तदनुसार वाद की वसुली कारवाई बंद
की जाती है।

लेखापित

मि. लाल प्रसाद
पदाधिकारी,
—याकुलिया।